राजस्थान-सरकार

कार्यालय जिला कलक्टर, राजसमन्द

क्रमांक:प-12/3(क)(10)राजस्व/2023/ 319-23 दिनांक 14-02-2023

::-आदेश-::

उपखण्ड अधिकारी भीम के पत्र क्रमांक राजस्व /2022/555 दिनांक 21-11-2022 द्वारा प्रेषित प्रस्ताव व अनुशंषा बाबत् वन विभाग राजसमन्द को वन भूमि के बदले गैर वन भूमि प्रत्यावर्तन के संबंध मे भूमि आवंटन, पर उपवन संरक्षक, वन्यजीव, राजसमन्द के पत्र क्रमांक:- एफ सर्वे/उंवसंवजी/एफसीए/2022/1354 दिनांक 14-02-2023 से प्रेषित रिपोर्ट के आधार पर तहसील भीम के ग्राम बाड़ियाहीरा के आ0न0 199 रकबा 71.9044 है0 भूमि किस्म गै0मु0पहाड में से रकबा 3.4164 है0 भूमि वृहत सार्वजनिक निहित हित (Public Interest at large) की परियोजना के दृष्टिगत राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 92 के तहत वन भूमि प्रत्यावर्तन के बदले समतुल्य गैर वन भूमि को उप वन संरक्षक वन्यजीव, वन विभाग, राजस्थान सरकार, राजसमन्द के नाम एततद्वारा आरक्षित/आवंटित की जाती है।

तद्नुसार राजस्व अभिलेख में अंकन किया जावे।

(नीलाभ सक्सेना)
जिला कलक्टर
राजसमन्द

प्रतिलिपिः- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः-

1 संयुक्त शासन सचिव महोदय, राजस्व, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर
2 संयुक्त शासन सचिव महोदय, वन एवं पर्यावरण विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर
3 उपवन संरक्षक, वन्यजीव, वन विभाग, राजसमन्द
4 उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, भीम, राजसमन्द
5 तहसीलदार भीम - राजस्व अभिलेख में उक्तानुसार अंकनकर राजस्व रिकॉर्ड की प्रति प्रेषित करे।
6 रक्षित पत्रावली

जिला कलक्टर
राजसमन्द